छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
//आदेश//

नवा रायपुर, दिनांक 31/01/2024

क्रमांक 164/531/2022/स्था./चार:: राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा–2022 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर वित्त विभाग में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए गए निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, तीन वर्ष की परिवीक्षा पर छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी के पद पर वेतनमान वेतन मैट्रिक्स लेवल–12 में अनन्तिम (Provisional) रूप से पैरा 2.1 से 2.13 में उल्लेखित शर्तो के अधीन नियुक्त करता है :–

स.क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा अधिकारी का मुख्य सूची का सरल क्र.	नाम, पिता/पति का नाम एवं स्थायी पता	चयन का वर्ग
1	1	सुश्री ममता तिवारी, पति– डॉ. धीरेन्द्र तिवारी, स्थायी पता–मं.क. 48, गली नं. 05, गीतांजलि सिटी, फेज 1, बहतराई रोड बिलासपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ पिन–495001	अनारक्षित (महिला ओपन)
2	2	सुश्री सृष्टि साहू पिता–श्री डोमन लाल साहू स्थायी पता–एच ब्लॉक 301, रहेजा रेसीडेन्सी, अवन्ति विहार रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन–492001	अनारक्षित (महिला ओपन)
3	3	श्री भुपेन्द्र वर्मा पिता–श्री छोटूराम वर्मा स्थायी पता–आदर्श नगर, भारतमाता अस्पताल के नजदीक, कवर्धा, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ पिन–491995	अ.पि.व (ओपन)
4	4	श्री जय कुमार कंवर पिता–जोधी राम कंवर स्थायी पता–द्वारा ग्राम व थाना नगरदा, तहसील नया बाराद्वार, जिला–सक्ती, छत्तीसगढ़ पिन–495687	अनु.जनजाति (ओपन)

2/ **2.1** यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

2.2 (अ) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी नियुक्ति उपरांत उपस्थित होने पर संलग्न प्रारूप (एक) में शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे।

(ब) दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी के संबंध में उनके दिव्यांगता प्रमाण–पत्र का सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाकर प्रस्तुत किया जाए।

2.3 परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में संचालनालय द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा भाग–1 एवं भाग–2 निर्धारित अवधि में उत्तीर्ण करना होगा ताकि परिवीक्षाधीन अवधि समाप्ति के पश्चात् पदांकन संबंधी आगामी कार्यवाही संचालित की जावेगी।

2.4 सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित मापदण्ड अनुसार आचरण व चरित्र का पुलिस सत्यापन भी कराया जायेगा। पुलिस सत्यापन में अधिकारी को सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर यह नियुक्ति आदेश तत्काल प्रभाव से स्वयंमेव निरस्त हो जावेगा।

2.5 शासकीय सेवा के दौरान अधिकारीगण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961, छ.ग.सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ राज्य वित्त सेवा (राजपत्रित) नियम, 2013 से शासित होंगे।

2.6 उपरोक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति राज्य या संभागीय "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जाती है। अतः अभ्यर्थीगण राज्य या संभागीय मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग में प्रस्तुत करेंगे। बिना चिकित्सा योग्यता प्रमाण पत्र के वेतन आहरण नहीं किया जायेगा तथा कार्य की गयी अवधि का कोई वेतन देय नहीं होगा। "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी।

2.7 उपरोक्त अभ्यर्थियों को संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, नवा रायपुर में कार्यभार ग्रहण करते समय (स्थानीय) निवासी प्रमाण पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रतियॉ सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गयी कोई भी जानकारी/प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरूद्व भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।

2.8 चयनित अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बांड शासन के पक्ष में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गयी राशि की वसूली की जाएगी जिसमें वेतन भत्ते एवं यात्रा देयक भी शामिल होगा।

2.9 चयनित अभ्यर्थियों की परस्पर वरिष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी।

2.10 यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।

2.11 प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है।

2.12 यह "नियुक्ति" सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 03.05.2023 में उल्लेखित अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होंगी।

2.13 उपरोक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर पदभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।

संलग्न :– यथोपरि

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

31/1/2024

(शांता खरे)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृक्रमांक 165/531/2022/स्था./चार नवा रायपुर, दिनांक 31/01/2024

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर
2. वित्त मंत्रीजी के निज सचिव/निज सहायक मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय/वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
4. महानिदेशक, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, रायपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर को उनके ज्ञाप क्रमांक 2612/23/चयन/2023/03, दिनांक 08.09.2023
7. उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
8. महालेखाकार छत्तीसगढ़, रायपुर
9. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन/पेंशन एवं भविष्य निधि, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
10. संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं छ.ग. इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर। कृपया मेडिकल बोर्ड से उम्मीद्वार का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर, स्वास्थ्य योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र उसे शीघ्र प्रदाय करें। मेडिकल बोर्ड तिथि, स्थान व समय की सूचना अभ्यर्थी को सीधे सूचित करें, ताकि वह निर्धारित समय पर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित हो सके।
11. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर
12. नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर की ओर राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित हेतु।
13. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, छत्तीसगढ़, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को वित्त विभाग की वेबसाइट http://finance .cg.gov.in पर अपलोड करने हेतु
14. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
15. समस्त वरिष्ठ कोषालय अधिकारी/कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, छत्तीसगढ़
16. संबंधित अभ्यर्थी.. ....आपको निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति आदेश की पावती एवं सहमति अविलंब इस विभाग को भेजे एवं इस आदेश के जारी होने के दिनांक से **एक माह के भीतर** संचालनालय, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर में मूल प्रमाण–पत्रों सहित उपस्थित होकर कार्यभार ग्रहण करें।
17. आर्डर बुक

__________ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

31/1/2024

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

प्रारूप (एक)

आरक्षित पद अथवा सीट पर नियुक्त/प्रवेशित/निर्वाचित/नामांकित/मनोनित व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत

शपथ–पत्र

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी .... आ0 .... उम्र .... वर्ष .... व्यवसाय .... निवासी .... तहसील .... जिला .... राज्य .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :

(1) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद/सीट/ लाभ/सुविधा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है/था।

(2) मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/नामांकन/मनोनयन आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन प्रदान की गई है।

(3) मेरे द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को होने के संबंध में ....(प्राधिकृत अधिकारी का नाम एवं पद) द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(4) मेरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र विहित रीति से तथा विहित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तथा उक्त प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु मेरे द्वारा सक्षम प्राधिकारी को दी गई समस्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार सत्य है।

(5) कदाचित उपर्युक्त जाति प्रमाण पत्र/सत्यापन प्रमाण–पत्र के गलत अथवा कपट पूर्वक प्राप्त करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है तथा उक्त के आधार पर अथवा स्वप्रेरण से सामाजिक प्रास्थिति जिला स्तरीय सत्यापन समिति मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में कोई जाँच करती है अथवा गहन जाँच हेतु सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को संदर्भित करती है तथा उक्त समिति या समितियों के द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में की गई जाँच एवं पारित निर्णय से यह प्रमाणित होता है कि मेरे द्वारा मेरी सामाजिक प्रास्थिति के संबंध में किया गया दावा तथा प्रस्तुत सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र गलत अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किया गया है तो बिना किसी अपवाद के आरक्षित पद/सीट के अध्ययधीन मेरी नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा, यथास्थिति अनावेदक (संबंधित लोक नियोजक/शैक्षणिक संस्था/संवैधानिक निकाय/राज्य शासन/केन्द्र शासन का नाम) ....

.... द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त/समाप्त/अपवर्जित किया जा सकेगा तथा मैं उक्त नियुक्ति/प्रवेश/निर्वाचन/चयन/प्रदत्त लाभ/सुविधा आदि के संबंध में व्यय की गई राशि अनावेदक को वापस करने हेतु दायित्वाधीन होऊँगा तथा उक्त राशि मुझसे भू राजस्व के बकाया की भाँति वसूली जा सकेगी तथा उक्त संबंध में मेरे विरूद्ध छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 8 से 13 में निर्दिष्ट कार्यवाही की जा सकेगी

हस्ताक्षर ....

सत्यापन

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी ....
आत्मज/आत्मजा .... सत्यापित करता हूँ कि इस शपथ पत्र की कण्डिका 1 से 5 में उल्लिखित लेख मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी अनुसार सही है, जिसे मैं पूरे होशो हवास में सत्यापित करता हूँ

हस्ताक्षर ....